तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
24.04.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. पेश किया जिसकी एक प्रति अप्रार्थीगण अधिवक्ता को दी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 बाबत अप्रार्थीगण संख्या 3/1 खीमाराम पुत्र स्व. मानाराम की अविवाहित अवस्था मृत्यु हो जाने एवं खीमाराम की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान पूर्व से ही अप्रार्थीगण पक्षकार बने हुए है। उक्त कारण से अप्रार्थीगण संख्या 3/1 खीमाराम का नाम डिलीट किया जाकर लाल स्याही से अंकन किया जाने का निवेदन कर आदेश चाहा गया। उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र के संबंध में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर अनापति का अंकन कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करने पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्देश दिए जाते है कि प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार अप्रार्थीगण संख्या 3/1 की मृत्यु होने पर खीमाराम का नाम हटाया जाकर लाल स्याही से अंकन/प्रविष्टि की जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार परिलक्षित नहीं होता है, जिससे प्रकरण में स्थगन प्रदान किया जाना उचित हो। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र निराधार पाए जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मुल पत्रावली के सलंग्न नथ्ती हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	